तक रहा है। यह मूल्य 3.66 रुपए प्रति कि० ग्राम है या 183 रुपए प्रति 50 कि० ग्राम का बैग है जिसके साथ राज्य बिक्री कर, यदि कोई हो, भी लिया जाता है।

इसी प्रकार, कुछ फास्फेटिक और पोटेसिक उर्वरक भी किसानों को निर्दिष्ट मूल्य पर उपलब्ध हैं क्योंकि भारत सरकार उनकी लागत पर राजसहायता देती है। यह निर्दिष्ट मूल्य 1.4.1997 से बदला नहीं गया है।

"नर्म कपास" में बीमारी

2446. **श्री ओंकार सिंह लखावतः** क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को वर्ष 1997 के दौरान राजस्थान के हनुमानगढ़ और गंगानगर जिलों में नर्म कपास की फसल में बीमारी फैलने की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या उपचारात्मक तथा दीर्घकालिक उपाय किए गए हैं और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोम पाल): (क) और (ख) राजस्थान सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, 1997 के दौरान गंगानगर जिले में कपास की फसल को 50% की हानि हुई थी और नर्म कपास की फसल के संबंध में हनुमानगढ़ जिले में 50 से 75% की हानि हुई जिसका कारण फसल में अमरीकी बौल-वोर्म, व्हाईट फलाई और पर्ण कुचन वाइरस रोग लगना है।

(ग) पर्ण कुचन वाइरस रोग के नियंत्रण के एक उपचारी उपाय के रूप में 117 हैक्टेयर क्षेत्र में 1872 कि० ग्रा० इमीडेक्लोप्रिड से उपचारित बीज बोए गए हैं। इसके अतिरिक्त, एल०आर०ए०-5166 किस्म के पर्ण कुचन वाइरस प्रतिरोधी बीजों के 2000 मिनिकिट निःशुल्क वितरित किए गए हैं।

दीर्घावधि उपायों में 234 प्रदर्शनों का आयोजन किया जाना शामिल है ताकि किसानों को इमीडैक्लोप्रिड से उपचारित बीजों के उपयोग में शिक्षित किया जा सके। पश्चिमी अन्तरराष्ट्रीय सीमा पर 20:20 कि०मी० क्षेत्र का एक बफर जोर रेखांकित किया गया है जहां कपास की प्रतिरोधी किस्में उगाने को लोकप्रिय किया जा रहा है।

अमरीकी बौल-वोर्म और व्हाइट फ्लाई जैसे कीट-कृमियों के नियंत्रण के लिए पारिस्थितिक रूप से अनुकूल जैव-नियंत्रण एजेंटों और जैव-कृमिनाशियों की सिफारिश की जा रही है और प्रदर्शन प्लाटों पर उनके प्रयोग को प्रदर्शित किया जा रहा है।

राजस्थान में सरसों की फसल को क्षति पहुंचना

2447. **श्री ओंकार सिंह लखावतः** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि राजस्थान में अनेक बीमारी और अति वृष्टि के कारण सरसों (रायड़ा) की फसल पूर्णतः चौपट हो गई है और इसका उत्पादन बहुत ही कम हुआ है; और

(ख) क्या सरकार ने सरसों की फसल को रोली और बीसिया व्याधियों से बचाने के प्रबंध किए हैं; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोम पाल): (क) राजस्थान सरकार ने सूचना दी है कि 1997-98 के दौरान राजस्थान में व्हाइट रस्ट रोग तथा एफिड्स नामक कीट के कारण 25-30 प्रतिशत सरसों (रायड़ा) की फसल की क्षति पहुंची है।

(ख) राजस्थान सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार भविष्य में व्हाइट रस्ट रोग तथा एफिड्स नामक कीट से सरसों की फसल को बचाने के लिए निम्नलिखित प्रबंध किए गए हैं:—

(1) विस्तार तंत्र तथा किसान गोष्ठियों के जरिये राज्य के कृषि विभाग द्वारा इस रोग तथा कीट एवं इनके नियंत्रण के तरीकों के संबंध में किसानों को प्रशिक्षित किया गया है।

(2) किसानों को इस कीट तथा रोग के संबंध में सूचित करने और कृषि विभाग द्वारा संस्तुत नियंत्रण उपाय शुरू करने के लिए स्थानीय समाचार-पत्रों, आकाशवाणी, दूरदर्शन आदि का प्रयोग किया गया है। विभाग ने पौध संरक्षण उपायों के लिए पुस्तिकाएं तैयार की हैं और इन्हें कृषि कार्यकर्ताओं और किसानों को वितरित किया है।

(3) एफिड्स तथा व्हाइट रस्ट के नियंत्रण हेतु अपेक्षित कीटनाशी दवाओं के लिए राज सहायता दी गई है तथा अधिकांश प्रभावित क्षेत्रों में दो छिड़काव किए गए हैं।